

Bill No. 43 of 2013**THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE
MARKETS****(SECOND AMENDMENT) BILL, 2013**

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

*further to amend the Rajasthan Agricultural Produce
Markets Act, 1961.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in
the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :-

1. Short title and commencement.- (1) This Act
may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets
(Second Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 11, Rajasthan Act No.
38 of 1961.-** In section 11 of the Rajasthan Agricultural
Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961),-

- (i) for the existing punctuation mark ".",
appearing at the end of sub-section (1), the
punctuation mark ":" shall be substituted;
and
- (ii) after sub-section (1), so amended, the
following proviso shall be inserted,
namely:-

"Provided that appointment by
direct recruitment on the post of
Lower Division Clerk shall be made
from out of the persons selected by
the Rajasthan Public Service
Commission in accordance with the
rules made by the State Government
in this behalf."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To facilitate smooth and quick recruitment of Lower Division Clerks in the Krishi Upaj Mandi Samitis of the State in a transparent manner it has been proposed to get this recruitment done through Rajasthan Public Service Commission.

Therefore, it has been proposed to insert a proviso under sub-section (1) of section 11 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 with a view to have enabling clause in the Act to authorise Rajasthan Public Service Commission to conduct examination for selection of Lower Division Clerks.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

गुरमीत सिंह कुन्वर,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN
AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS, ACT, 1961**

(Act No. 38 of 1961)

XX XX XX XX

**11. *Appointment and salaries of servants of
the market committee.***- (1) The market committee may employ in the prescribed manner such officers and servants as may be necessary for the management of the market and may pay such officers and servants such salaries as the market committee thinks fit.

(2) to (4) xx xx xx xx

XX XX XX XX

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2013 का विधेयक सं. 43

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013
(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 11 का संशोधन.- राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38) की धारा 11 में,-

(i) उप-धारा (1) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न “ । ” के स्थान पर, विराम चिह्न “:” प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु कनिष्ठ लिपिक के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यक्तियों में से की जायेगी।”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में कनिष्ठ लिपिकों की निर्बाध और तुरंत भर्ती को पारदर्शी रीति से सुकर बनाने के लिए इस भर्ती को राजस्थान लोक सेवा आयोग की मार्फत कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः, कनिष्ठ लिपिकों का चयन करने के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्राधिकृत करने के लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 में समर्थकारी खण्ड उपलब्ध करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) में एक परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

गुरमीत सिंह कुन्नर,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961
(1961 का अधिनियम सं. 38) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

11. मण्डी समिति के सेवकों की नियुक्ति और वेतन.-

(1) मण्डी समिति विहित रीति से ऐसे अधिकारियों और सेवकों को नियोजित कर सकेगी जो मण्डी के प्रबन्ध के लिए आवश्यक हों और उक्त अधिकारियों व सेवकों को ऐसे वेतन दे सकेगी जो मण्डी समिति ठीक समझे।

(2) से (4) **XX XX XX XX**

XX XX XX XX XX

2013 का विधेयक सं.43

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और
संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रदीप कुमार शास्त्री,
विशिष्ट सचिव।

(गुरमीत सिंह कुन्वर, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 43 of 2013

**THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE
MARKETS (SECOND AMENDMENT) BILL, 2013**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

*Further to amend the Rajasthan Agricultural Produce
Markets Act, 1961.*

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRADEEP KUMAR SHASTRY,
Special Secretary.

(Gurmeet Singh Kunnar, **Minister-Incharge**)